5

ITH
[handwritten initials and date]

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–45/2012– /कृ0, पटना, दिनांक 2014

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स खुबलाल एग्रो केमिकल्स (प्रा0) लि0,
डाकबंगला रोड़, कागजी मोहल्ला,
बिहारशरीफ (नालन्दा)।

1561
10.11.14

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 88 दिनांक 17.08.2004 के नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार, चालान अन्य सुसंगत कागजातों एवं कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन तथा उप कृषि निदेशक (पौ0 सं0) पटना प्रमंडल, पटना एवं सहायक कृषि निदेशक, (पौधा संरक्षण), सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना द्वारा समर्पित संयुक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि के आलोक में कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 88 दिनांक 17.08.2004 को दिनांक 31.12.2015 तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

क्र० सं0	कीटनाशी का नाम	क्र० सं0	कीटनाशी का नाम
1	Cypermethrin 0.25% DP	13	Ethion 40%+Cypermethrin5% EC
2	Phorate 10% CG	14	Phenthoate 50% EC
3	Butachlor 50% EC	15	Zinc Phosphide 2% RB
4	Triazophos 40% EC	16	Metalaxyl 35% W.S.
5	Cypermethrin 25% EC	17	2, 4-D Ethyl Ester 38% E.C.
6	Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP	18	Fenavarerate 20% EC
7	Carbofuran 3% CG	19	Pretilachlor 50% EC
8	Cartap Hydrochloride 50% SP	20	Chlorpyriphos 50%+ Cypermethrin 5% EC
9	Sulphur 85% DP	21	Acephate 75% SP
10	Imidacloprid 17.8% SL	22	Methyl Parathion 2% DP
11	Profenophos 50% EC	23	Malathion 5% DP
12	Hexaconazole 5% EC	24	Fenvalerate 0.4% DP

2–उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:– मेसर्स खुबलाल एग्रो केमिकल्स (प्रा0) लि0, कंचनपुर नालंदा (विनिर्माण स्थल)।

3– कीटनाशी Cypermethrin 10% EC बैच नं0 T2 विनिर्माण तिथि फरवरी, 2011 अवसान तिथि जनवरी, 2013/ Cartap Hydrochloride 4%GR बैच नं0 D1 विनिर्माण तिथि फरवरी, 2011 अवसान तिथि जनवरी, 2013/ Chlorpyriphos 20% EC बैच नं0 T2 विनिर्माण तिथि दिसम्बर 2011, अवसान तिथि नवम्बर, 2013 अमानक पाये जाने के फलस्वरूप अभियोजन की स्वीकृति दी गई है जिसके कारण इसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है।

4– अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6– अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7– नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिर्पोट दर्ज करनी होगी।

8– अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/ बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9– कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0 **88** दिनांक 17.08.2004 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4762 /कृ0, पटना, दिनांक 05-11-, 2014

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/11/14

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।